



दिनांक 08/01/2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से कुल 50.33 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 10,00,000/- रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी श्री निरीक्षक संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा कल दिनांक 07/01/2026 को गस्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र जीशान निवासी ग्राम बाढीमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को नकुड रोड पर बाढी माजरा तिराहे से बाढी माजरा जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **सद्दाम** उपरोक्त के कब्जे से 50.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 15/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र जीशान निवासी ग्राम बाढीमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 50.33 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 591/18 धारा 392/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 655/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 206/21 धारा 188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 16/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 12 अंकुश गोदरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 08/01/2026

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 03 बैटरे, 04 किलो तांबे का तार, 1370/- रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 16.07.2025 को वादी श्री नीतिश ठाकुर पुत्र श्री विजय नारायण सिंह निवासी मौ0 बेरी बाग गणेश चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल तैनात श्री तिरुपति कॅन्सट्रक्शन 16-बी विवेक विहार शास्त्री नगर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा 07 बैटरे गाड़ियों के चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 002/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

2. दिनांक 06.01.2026 को वादी बशेश्वर शर्मा पुत्र हरीशचंद निवासी इन्दिरापुरी कालोनी कस्बा सरसावा थाना सरसावा जिला सहारनपुर मो0 9720092535 की लिखित तहरीर पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान में रखे पुराने ताँबे के 15 किलो तार व 4 किलो एल्युमिनियम के और 4 किलो नये ताँबे के तार को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 10/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

इसी क्रम में **पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये **02 वांछित चोर/अभियुक्तगण 1- अमनदीप उर्फ दीपा पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी, कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2- विकास कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सरसावा नकुड रोड से ग्राम बुढेड़ा रोड पर गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशानदेही पर 03 अदद बैटरे, 04 किलो तांबे का तार, 1370/- रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। **गिरफ्तार अभियुक्तगण अभ्यस्त किस्म के शातिर अपराधी हैं जिनके विरुद्ध थाना सरसावा पर चोरी व अन्य गम्भीर धाराओं में पूर्व से मुकदमों पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढ़े लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम लोग नशा करने के आदि हैं। अक्सर अपनी नशे की जरूरतों की पूर्ति करने के लिये पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है कम समय में अधिक रुपये कमाने के लिये एव अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिये हमने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी करते हैं और फिर चोरी किये गये सामान को सस्ते दामों में बेच देते हैं। हम दोनों ने मिलकर कस्बा सरसावा में 02 जगह से चोरी की थी और चोरी के सामान को रात्रि में बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1-अमनदीप उर्फ दीपा पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी, कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

2-विकास कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➡ 03 अदद बैटरे

➡ 04 किलो तांबे का तार

➡ 1370/- रुपये नकद

➡ 01 मोटरसाईकिल UP 11 BB 4578 बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमनदीप उर्फ दीपा उपरोक्त—

01. मु0अ0सं0 15/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना नकुड़ सहारनपुर

02.मु0अ0सं0 026/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

03 मु0अ0सं0 002/2026 धारा 305ए,317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

04. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305ए, 317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त

01.मु0अ0सं0 0184/17 धारा 147341 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

02. मु0अ0सं0 002/2026 धारा 305ए,317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

03. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305ए, 317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

2- उ0नि0 आकाश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3- उ0नि0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

4- है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

5- का0 2413 जगदीश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

6- का0 2225 रंगेश चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.01.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्रों के ओवरलोड रेत से भरे, 02 डम्पर व 03 ट्रैक्टर-ट्राली सीज किए गये

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.01.2026 की रात्रि में चौकी शाहजहापुर पर संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 02 डम्पर व 03 ट्रैक्टर-ट्राली को चेक किया गया जो ओवरलोड रेत से भरे, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहे थे। उक्त वाहनों को नियमानुसार कब्जे में लेकर सीज किया गया है।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखना है।

सीज वाहनों का विवरण –

- 01 डम्पर 18 टायरा रजि0 नं0 एचआर 58 एफ 2929
- 01 डम्पर वाहन रजि0 नं0 यूपी 20 एटी 8710
- 01 ट्रैक्टर-ट्राली रजि0 नं0 यूपी 11 सीजैड 4820
- 01 ट्रैक्टर-ट्राली रजि0 नं0 यूपी 11 सीजैड 4820
- 01 ट्रैक्टर-ट्राली चैसिस नं0 MBNGAALFZRNK01233

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
2. एसडीएम सदर महोदय सदर सहारनपुर
3. थाना सरसावा पुलिस टीम



दिनांक: 08-01-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना नांगल पुलिस द्वारा पोपलर के पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित
अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी गये पोपलर के पेड़ बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 02.01.2026 को वादिया श्रीमति सुनीता सिंह पत्नी विनय कुमार की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त प्रदीप पुत्र हरपाल सिंह निवासी कपासा थाना नांगल सहारनपुर द्वारा वादिया के खेत से पोपलर के 100 पेड़ काटकर चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाही:-

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पोपलर के पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम कपासा थाना नांगल जनपद सहारनपुर** को वादिया के खेत से गाँव की तरफ आने वाला रास्ते से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर कपासी खण्ड से चोरी गये पोपलर के पेड़ बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रदीप पुत्र हरपाल सिंह निवासी कपासा थाना नांगल सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

पोपलर के कटे हुए पेड़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 428/25 धारा 115(2)/352/351(3)318(4)/316(2) बीएनएस थाना नांगल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनेन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
3. है0का0 516 सोनू कुमार थाना नांगल सहारनपुर
4. का0 811 दीपक कुमार थाना नांगल सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.01.2026

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 28.12.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त समर पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर वादीया की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-639/25 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधि0 पंजीकृत है।

पुलिस कार्यवाही:-

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के अनुपालन पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त समर पुत्र सलीम निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को मौहल्ला बंजारान कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

समर पुत्र सलीम निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. का0 1069 अंकित कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर



दिनांक: 08-01-2026

-प्रेस नोट-

□ थाना नांगल पुलिस की तत्परता व संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण □
थाना नांगल पुलिस द्वारा घर (जनपद देहरादून) से नाराज़ होकर निकली युवती को सकुशल
बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया

□ घटना का विवरण-

दिनांक 08.01.2026 को थाना नांगल की मिशन शक्ति टीम को सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 20 वर्ष की एक युवती नांगल बस स्टैंड पर परेशान अवस्था में इधर-उधर भटक रही है।

□ पुलिस कार्यवाही-

सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम प्रभारी महिला उपनिरीक्षक वर्षा कुशवाह, महिला हेड कांस्टेबल 373 सरहिष्ठा व महिला कांस्टेबल 87 ऋतु तत्काल मौके पर पहुँचीं। टीम द्वारा युवती को सुरक्षित अपने साथ लेकर मिशन शक्ति केंद्र, थाना नांगल लाया गया, जहाँ उसे पानी पिलाकर सहज एवं संवेदनशील तरीके से बातचीत की गई। पूछताछ में युवती ने अपना नाम मीरजहाँ पुत्री शहजाद, निवासी गोरखपुर जोहड़ी, जनपद देहरादून बताया तथा अपने पिता का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया। युवती ने बताया कि वह किसी पारिवारिक बात से नाराज़ होकर घर से निकल आई थी। इसके पश्चात महिला उपनिरीक्षक द्वारा युवती के पिता शहजाद से संपर्क कर परिजनों को थाना नांगल बुलाया गया। थाना नांगल पर युवती के पिता शहजाद एवं भाई मुस्तकीम उपस्थित हुए, मिशन शक्ति टीम द्वारा युवती की काउंसिलिंग कर सकुशल परिजनो के सुपुर्द किया गया।

□ परिजनों की प्रतिक्रिया-

युवती के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा नांगल पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम का दिल से आभार व्यक्त किया गया तथा टीम के इस संवेदनशील व सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

□ नांगल पुलिस – सुरक्षा, संवेदनशीलता और विश्वास का प्रतीक □

□ ♀ □ मिशन शक्ति: हर बेटे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

मिशन शक्ति टीम-

5. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल सहारनपुर
6. म0उ0नि0 वर्षा कुशवाह थाना नांगल सहारनपुर
7. म0है0का0 373 सरहिष्ठा थाना नांगल सहारनपुर
8. म0का0 87 ऋतु थाना नांगल सहारनपुर



दिनांक-

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत – थाना मण्डी मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं/बालिकाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीमों द्वारा मनचले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2026 को थाना मण्डी मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील फब्तिया कस रहे 01 मनचले अभियुक्त अब्दुल समद पुत्र दाउद हसन निवासी रांगडो का पुल थाना कुतुबशेर सहारनपुर को इन्डीस्ट्रियल मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कालिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अब्दुल समद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अब्दुल समद उपरोक्त के विरुद्ध

अभियुक्त का नाम व पता

अब्दुल समद पुत्र दाउद हसन निवासी रांगडो का पुल थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 प्रीती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. म0हे0का0 1148 रीटा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. म0का0 706 डोली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1761 संदीप थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले दुकानदार को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले अभियुक्त/दुकानदार दीपक पुत्र मनोज कुमार निवासी मौहल्ला रानी बाजार थाना मण्डी सहारनपुर को मौ0 रानी बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 69 गिट्टी व 10 गुच्छी पतंग का प्रतिबंधित मांझा (कुल वजन 40.2 कि0 ग्राम), बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 07/2026 धारा 223(बी)/125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र मनोज कुमार निवासी मौहल्ला रानी बाजार थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 69 गिट्टी व 10 गुच्छी पतंग का प्रतिबंधित मांझा (कुल वजन 40.2 कि0 ग्राम),

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
5. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।